न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— श्री राम सिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:— 114/2020

जी0सी0एम0एस0 :—2020/00312

1.कुरड़ाराम पुत्र भोलाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी काणिका की तन ग्राम खेदड़ा की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रार्थी

बनाम

1.नत्थुराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम निवासी गुढागौड़जी तह. उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
2.अमर सिह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
3.निहाली पत्नी मक्खनलाल जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
4.महावीरप्रसाद पुत्र मक्खनलाल जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
5.राजकुमार पुत्र मक्खनलाल जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
6.सन्तोष पत्नी भागीरथमल जाति गुर्जर निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
7.हरिराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
8.निवास पुत्र लादु जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
9.बस्तीराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
10.भानी पत्नी लादुराम जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
11.मंजू देवी पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा तन ग्राम गुढागौड़जी तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू।
12.कॉरपोरेशन बैंक शाखा टोडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
13.बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक।
14.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

अप्रार्थीगण...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.08.2021

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ढाणी कणिका पटवार हल्का की खेदड़ा की ढाणी की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 अवस्थित है, जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी की सरहद में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1322, 1316, 1317 में से होकर आवागमन करता है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटाणशुदा रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थी के पूर्वज सैकड़ों वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। बिन्दु ए से बी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 11 की सहखातेदारी की भूमि है उक्त रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण की स्वीकृति रही है लेकिन उक्त रास्ता कटाणशुदा नहीं होने से सदैव रास्ता बंद होने का भय बना रहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युनतम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नही लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है।

अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम ढाणी कनिका पटवार हल्का खेदड़ा की ढाणी में स्थित अपनी कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 में आवागमन हेतु ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1322, 1316, 1317 में से सलंग्न नजरी नक्शानुसार से बिन्दु ए से बी तक दर्शाए गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए लेकिन जबाब प्रार्थना पत्र मूल का पेश नही करने पर इनका जबाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 12, 13, 14 बावजूद तामील हाजीर नहीं अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, जरिये अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 का खातेदार होना स्वीकार है तथा शेष कथन गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थनाप त्र की मद संख्या 3 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4, 5, 6, 7 जिस प्रकार से दर्ज की गई है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10, 11, 12, गलत दर्ज होने से अस्वीकार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 की भूमि में आवागमन के लिए सैकड़ों वर्षो पूर्व से ही मौका पर मौजूद आम रास्ता गुढा से चवरा जाने वाली मुख्य सड़क से आगे ग्राम गुढागौड़जी के खसरा नम्बर 1328 गै0मु0 नाला में से होकर खसरा नम्बर 1324, 1300, 3220/1300 की भूमि में से होकर मौका पर रास्ता मौजूद हैं तथा उक्त रास्ते को दर्शाकर प्रार्थी कुरड़ाराम ने व उसके पुत्र राजवीर ने भूमि ग्राम कनिका की ढाणी के खसरा नम्बर 1302 में से 0.11 हैक्टर का किस्म परिवर्तन करवाया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस कारण प्रार्थी नया रास्ता क्लेम नहीं [illegible] है। भूमि खसरा नम्बर 1322 में जहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने रास्ता चाहा है वहा पर पक्के मकानात बने हुए है।अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जाचं रिपोंट दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ढाणी कणिका पटवार हल्का की खेदड़ा की ढाणी की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 अवस्थित है, जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी की सरहद में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1322, 1316, 1317 में से होकर आवागमन करता है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटाणशुदा रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थी के पूर्वज सैकड़ों वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। बिन्दु ए से बी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 11 की सहखातेदारी की भूमि है उक्त रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण की स्वीकृति रही है लेकिन उक्त रास्ता कटाणशुदा नहीं होने से सदैव रास्ता बंद होने का भय बना रहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युनतम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नही लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है। अतः प्रार्थी की ग्राम ढाणी कनिका पटवार हल्का खेदड़ा की ढाणी में स्थित अपनी कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 में आवागमन हेतु ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1322, 1316, 1317 में से सलंग्न नजरी नक्शानुसार से बिन्दु ए से बी तक दर्शाए गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 की भूमि में आवागमन के लिए सैकड़ों वर्षो पूर्व से ही मौका पर मौजूद आम रास्ता गुढा से चवरा जाने वाली मुख्य सड़क से आगे ग्राम गुढागौड़जी के खसरा नम्बर 1328 गै0मु0 नाला में से होकर खसरा नम्बर 1324, 1300, 3220/1300 की भूमि में से होकर मौका पर रास्ता मौजूद हैं तथा उक्त रास्ते को दर्शाकर प्रार्थी कुरड़ाराम ने व उसके पुत्र राजवीर ने भूमि ग्राम कनिका की ढाणी के खसरा नम्बर 1302 में से 0.11 हैक्टर का किस्म परिवर्तन करवाया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस कारण प्रार्थी नया रास्ता क्लेम नहीं कर सकता है। भूमि खसरा नम्बर 1322 में जहां पर प्रार्थी ने रास्ता चाहा है वहा पर पक्के मकानात बने हुए है।अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कथित कथनों की पुष्टि तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021 से होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकीलगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम ढाणी कणिका पटवार हल्का खेदड़ा की ढाणी की सरहद में स्थित अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी की सरहद में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1322, 1316, 1317 में से 400 फिट लम्बा एवं 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा था। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी दर्शाया गया है। पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त फर्द मौका के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1322, 1316, 1317 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक मौजूद है तथा इसी रास्ते के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 1302 में से भूमि का किस्म परिवर्तन हुआ है। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अवगत करवाया कि भूमि खसरा नम्बर में जॅहा से प्रार्थी ने रास्ता चाहा है वहा पर पक्के मकानात बने हुए है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

31.8.2021

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.2021

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner